"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मार्च 2017 — चैत्र 1, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2017 (चैत्र 1, 1939)

क्रमांक-3637/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) जो बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 1 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 21 सन् 2011) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 9 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 21 सन् 2011) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 9 में, उप-धारा (3) में,-

(एक) शब्द "एवं दूसरी कालावधि के लिये पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा" के स्थान पर, शब्द "एवं दो से अधिक कालावधि के लिये नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(दो) प्रथम परन्तुक में, शब्द "पैंसठ" के स्थान पर, शब्द "सत्तर" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 10 का संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की धारा 10 में, उप-धारा (1) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "परन्तु, इस प्रकार नियुक्त कुलपति दूसरी कालावधि के लिये पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा" के स्थान पर, शब्द एवं विराम चिन्ह "परन्तु यह कि इस प्रकार नियुक्त कुलपति अधिनियम की धारा 9 के अधीन पुनर्नियुक्त होने के लिये पात्र हो सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 22 का संशोधन.

4\. मूल अधिनियम की धारा 22 में, उप-धारा (2) में,-

(क) शीर्षक "पदेन सदस्य" के नीचे,-

(एक) प्रविष्टि (चार) में, शब्द "सभी संचालकगण," के स्थान पर, शब्द " एक संचालक, जैसा कि राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) प्रविष्टि (पांच) में, शब्द "सभी संकायों के अधिष्ठाता," के स्थान पर, शब्द " एक संकाय का अधिष्ठाता जैसा कि राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(तीन) प्रविष्टि (छ:) में, शब्द "सभी महाविद्यालयों के अधिष्ठाता," के स्थान पर, शब्द " एक महाविद्यालय का अधिष्ठाता, जैसा कि राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये" प्रतिस्थापित किया जाये.

(ख) शीर्षक "अन्य सदस्य" के नीचे,-

(एक) प्रविष्टि (तीन) में, शब्द "एक" के स्थान पर, शब्द " दो " प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) प्रविष्टि (पांच) में, शब्द "दुग्ध अथवा पंचगव्य-उत्पादन या प्रसंस्करण से संबद्ध उद्योग का एक प्रतिनिधि" के पश्चात्, शब्द " एवं पशुधन संवर्धन तथा संरक्षण से एक प्रतिनिधि" अन्त:स्थापित किया जाये; और

(तीन) प्रविष्टि (छ:) में, शब्द "एक" के स्थान पर, शब्द "दो" प्रतिस्थापित किया जाये.

5. मूल अधिनियम की धारा 51 में, उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- **धारा 51 का संशोधन.**

"(6) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में छात्रसंघ का चुनाव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार; विद्या परिषद् की अनुशंसा पर कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार कराये जायेंगे."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, राज्य में अन्य विश्वविद्यालयों के समान एकरूपता लाने की दृष्टि से तथा अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 21 सन् 2011) में संशोधन करने का निर्णय लिया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 27 फरवरी, 2017

बृजमोहन अग्रवाल
पशुधन विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 की धारा 9, 10, 22 एवं 51 का उद्धहरण

धारा		
धारा-9 की उपधारा (3) कुलपति	(3)-	कुलपति का कार्यकाल पांच वर्ष की कालावधि के लिए होगा एवं दूसरी कालावधि के लिए पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा : परन्तु कोई व्यक्ति, जो पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, कुलपति का पद धारण नहीं करेगा.
धारा-10 की उपधारा (1) प्रथम कुलपति की नियुक्ति एवं पदावधि	(1)-	इस अधिनियम के प्रारंभ होने के छ: माह के भीतर, कुलाधिपति द्वारा शासन से परामर्श कर प्रथम कुलपति की नियुक्ति, ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अधिक न हो या 65 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूरी होने-तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिये की जायेगी एवं ऐसे वेतन एवं ऐसे अन्य निबंधन एवं शर्तों पर होगी जैसा कि कुलाधिपति उचित समझे : परन्तु इस प्रकार नियुक्त कुलपति, दूसरी कालावधि के लिए पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा.
धारा-22 की उपधारा (2) एवं (3) कार्य परिषद्	(2)-	पदेन सदस्य (चार) सभी संचालकगण (पांच) सभी संकायों के अधिष्ठाता (छ:) सभी महाविद्यालयों के अधिष्ठाता
	(3)-	अन्य सदस्य (तीन) एक पशुपालक किसान जिसे शासन द्वारा, नामनिर्दिष्ट किया जायेगा. (पांच) दुग्ध अथवा पंचगव्य उत्पादन या प्रसंस्करण के सम्बद्ध उद्योग का एक प्रतिनिधि जिसे शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा. (छ:) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता जिसे शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.
धारा-51की उपधारा (5) कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध	(5)-	अधिसूचना की प्रवर्तनशीलता अवधि समाप्त होने के पूर्व, यथासाध्य रूप में यथा शीघ्र, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् गठित करने के लिये कुलपति कदम उठाएगा और इस तरह से गठित कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् अधिसूचना की प्रवर्तन अवधि समाप्त होने के दिनांक के ठीक आगामी दिनांक से अथवा उपरोक्त निकाय का गठन जिस दिनांक को किया गया हो इनमें से जो दिनांक उत्तरवर्ती होगा, उस दिनांक से कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् कार्य करना आरम्भ कर देगी : परन्तु अधिसूचना की प्रवर्तनशीलता की अवधि समाप्त होने के पूर्व यदि कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् का गठन न हो सके तो कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन कुलपति, इन प्राधिकरणों की प्रत्येक शक्तियों का प्रयोग अधिसूचना की प्रवर्तनशीलता-अवधि समाप्त होने के बाद तब तक करेगा जब तक कि कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् का यथा स्थिति इस प्रकार गठन न हो जाए.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.